राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2703/2023
मनीष कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
3. सहायक अभियंता (O&M), जयपुर डिस्कोम, टेहला, जिला अलवर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री नितेश कुमार गर्ग, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री अंकुर श्रीवास्तव, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 06.10.2023 को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण टहला से मनोहरथाना किया गया था। इस अपील में अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह अभिकथन रहा है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया, जो विधि–विरूद्ध है। अपीलार्थी के उपरोक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी के उपरोक्त स्थानांतरण के आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी थी। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अतंरिम स्थगन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही पारित किया गया है। ऐसे में प्रतिबंध अवधि के दौरान किया गया स्थानांतरण विधि विरूद्ध पारित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दी गई सहमति के संबंध में दस्तावेज भी रिकॉर्ड में प्रस्तुत किये गये हैं।
2. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहमति प्राप्त करने के पश्चात किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधि–विरूद्धता प्रकट नहीं

होती है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह भी कथन किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण 500 किमी. दूर किया गया है। अपीलार्थी अपनी दादी के साथ निवास करते हैं, जो 90 वर्ष की है। अतः स्थानांतरण आदेश से अपीलार्थी को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत परेशानियों का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अंकित करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। केवलमात्र व्यक्तिगत परेशानियों के आधार पर स्थानांतरण आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता है।

3. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है। इस अधिकरण द्वारा पारित किया गया अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 10.10.2023 निरस्त किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)